Title: Demand to provide Rs. 500 core advance assistance for the rehabilitation of people affected due to flood in Kinnour, Mandi and Kullu districts of the Himachal Pradesh.

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि 31 जुलाई की रात्रि एवं 1 अगस्त की प्रात: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र किन्नौर व मंडी और कुल्लू जिले के रामपुर क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ में 100 लोग मरे व हजारों घर जलमग्न हो गए और बहुत बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। उनके पुनर्वास एवं सहायतार्थ हिमाचल सरकार अपने सीमित साधनों के होते हुए निरन्तर प्रयास कर रही है। इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले ही नियम 193 के अन्तर्गत हुई बाढ़ संबंधी चर्चा में भाग लेते हुए मैंने तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य सांसदों ने बड़े विस्तार से अपनी बात कही है, लेकिन हमारे एवं हिमाचल सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद अभी तक केन्द्र से कोई विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं हुई है जबकि मेरी जानकारी के अनुसार केन्द्रीय अध्ययन दल ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी भारत सरकार को दे दी है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रधान मंत्री महोदय एवं विशेषरूप से वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि -

(1) एक, तो हिमाचल प्रदेश को जहां बादल फटने और भीषण बाढ़ से 2 हजार करोड़ रुपए की क्षति पहुंची है वहां कम से कम 500 करोड़ की धनराशि अग्रिम सहायता के रूप में तत्काल दी जाए;

(2) दूसरे,, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले, जहां के कुछ भागों में सड़कें नहीं हैं वहां तथा जहां सड़कें थीं लेकिन भीषण बाढ़ में उनके टूटने एवं पुलों के बहने से वहां का सेव मार्केट में लाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो गया है, उन क्षेत्रों के किसानों को विशेष परिस्थितियों में 10 रुपए प्रति किलो की दर से सेव का समर्थन मूल्य दिया जाए और जहां से सेव एवं अन्य फल पीठ पर, खच्चर पर और लंबे मार्गों से सब्जी मंडी तक पहुंचाना है वहां उन्हें राहत प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से ट्रांसपोर्ट सबसिडी दी जाए; और

(3) तीसरे, भारत सरकार ने उड़ीसा प्रान्त में आए चक्रवात के कारण वहां की जनता को हुई क्षति से राहत प्रदान करने के लिए उन्हें अपने घरों को बनाने हेतु लोहे व सीमेंट आदि मटीरियल पर जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देकर सहायता प्रदान की है उसके लिए मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भीषण बाढ़ से बेघरबार हुए लोगों को भी उड़ीसा प्रान्त की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को मकान बनाने में राहत प्रदान करने हेतु लोहा, सीमेंट एवं टीन की चादरों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में शत-प्रति-शत छूट देकर सहायता प्रदान करें क्योंकि वे ऊंचे इलाके हैं जहां खूब बर्फ पड़ती है और वह सारा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको कोटि: धन्यवाद।